न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 64 / 2010

कौशल्या देवी पुत्री भंवरलाल पत्नी मनोज कुमार जाति जाट निवासी भोजासर छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल निवासी मीलों की ढाणी तन मिरण तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपीलांट

बनाम

1 रामलाल पुत्र बालूराम।
2 धापा देवी पत्नी बालूराम।
3 सुल्तानराम पुत्र बालूराम।
4 बीरबल पुत्र बालूराम।
5 केशरी देवी पुत्री बालूराम पत्नी कुरड़ाराम जाति जाट निवासी मैलासी तहसील व जिला सीकर।
6 शिवभगवान पुत्र सीतारामा।
7 कानी देवी पत्नी नानूराम।
8 प्यारेलाल पुत्र नानूराम।
9 भागीरथमल पुत्र नानूराम।
10 रामकुमार पुत्र सीताराम।
11 श्योपाल पुत्र सीताराम।
12 शाखा प्रबन्धक शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
13 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बहैसियत भू–धारक राजस्थान सरकार।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2010
उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ बसिलसिले
दावा संख्या 138/2006 दावा उनवानी रामलाल
बनाम धापा देवी आदि दावा बाबत उद्घोषणा
बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मणसिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 01.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 138/2006 मे पारित निर्णय दिनांक 26.03.2010 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 बालूराम के उत्तराधिकारी है, जो बालू की खाते, काश्त की आराजियात के विरासत के आधार पर 1/6,1/6 भाग की भूमि खातेदार, काश्तकार है। विवादित आराजियात खसरा नम्बर 396 रकबा 2.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312/1 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312/2 रकबा 5.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 2.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 248 रकबा 1.86 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 93 रकबा 0. 88 हैक्टेयर तन ग्राम भोजासर छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में स्थित है। इन आराजिया तमे से खसरा नम्बर 396 रकबा 2.92 हैक्टेयर के सम्पूर्ण रकबे एवं अन्य आराजिया खसरा नम्बर 312/1,312/2,311,113,248 व 93 के 1/5 भाग का अपीलांट का पिता बालूराम खातेदार काश्तकार था,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांट के पिता बालूराम की मृत्यु पर अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 5 जो उनके वैध उत्तराधिकारी है उनका विरासत के आधार पर कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 से 5 बालूराम की पुत्री व पुत्र है तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 बालूराम की स्त्री है। अपीलांट के पिता भंवरलाल का रेस्पोडेंट संख्या 1 ने सन 1992 में कत्ल कर दिया था। अपीलांट के पिता की विरासत का नामान्तकरण अपीलांट की जानकारी के बिना रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4 बदनियति से अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 का हिस्सा हज्म करने की नियत से बालूराम की विरासत का नामान्तकरण अकेलों ने अपने हक मे स्वीकार करवा लिया, इसके बाद रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 से साजिस व षडयंत्र करके अपीलांट का हिस्सा नाजायज रूप से हड़पने की नियत से अपीलांट को दावे में पक्षकार बनाये बिना रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 व अन्य रेस्पोडेंट संख्या 6 लगायत 13 के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ मे दावा बाबत उदघोषणा, बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिससे पूर्व नियोजित योजना के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 ने कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही किया तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 26.03.2010 को रेस्पोडेंट संख्या 1 रामलाल/वादी का दावा डिक्री कर दिया व दिनांक 26.03.2010 को प्रारम्भिक डिक्री विभाजन हेतु जारी कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2010 से अपीलांट के अधिकारों पर कुप्रभाव पड़ता है, अत अपीलांट की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03. 2010 के विरूद्व यह अपील धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 के आवेदन के साथा प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि बालुराम के खाते काश्त की भूमि में विरासत के आधार पर अपीलांट छठे हिस्से की खातेदारी काश्तकार है। बालुराम की विरासत का नामान्तकरण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रेस्पोडेंट 2 लगायत 5 ने अपने अकेले के पक्ष में स्वीकार करवा लिया व अब रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 की साजिस व षड़यंत्र से अपीलांट को दावे में पक्षकार बनाये बिना ही अपीलांट के हिस्से को हड़पने की नियत से अपीलांट के हिस्से सहित रेस्पोडेंट सख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 ने अपने आपको निर्णय व डिक्री जैर अपील से खातेदार काश्तकार घोषित करवा लिया है, ओर बंटवारा करवाकर रेस्पोडेंट विवादित आराजियात को विक्रय करने पर आमादा है। निर्णय व डिक्री जैर अपील से अपीलांट के हितो पर कुप्रभाव पड़ता है। अत अपीलांट को अपने हितो की रक्षा के लिए विचारण न्यायालय के निर्णय के अपील प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिसकी ईजाजत न्यायहित मे दी जाने की प्रार्थना है। अपीलांट द्वारा दिनांक 18.06.2010 को रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 को विवादित आराजियात का बंटवारा कर अपीलांट के हिस्से की भूमि अलग देने हेतु व खातेदारी अलग अंकित करवाने हेतु ग्राम भोजासर छोटा मे कहा तो उन्होने अपीलांट के हक में खातेदारी अंकित होना नही बताया व रामलाल रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा किया गया दावा डिक्री होना बताया। दिनांक 19 व 20 जून 2010 का राजकीय अवकाश होने पर अपीलांट ने दिनांक 21.06.2010 को लक्ष्मणगढ़ जाकर जानकारी की तो निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अत अपीलांट को निर्णय व डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 21.06.2010 को हुई। अत जानकारी के रोज से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपीलांट के पिता भंवरलाल जो बालुराम का जायंदा पुत्र था, उसका बालुराम के जीवनकाल में रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी रामलाल ने बालुराम के जीवनकाल मे कत्ल कर दिया था, जिसकी एक मात्र वारिश व उत्तराधिकारी अपीलांट है। बालुराम के जीवनकाल मे मृत पुत्र भंवरलाल की जायंदा पुत्री होने के कारण अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त रूप से बालूराम के उत्तराधिकारी है। अत बालुराम के खाते, काश्त की विवादित आराजीयात में बालुराम के हिस्से के अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार है, अर्थात बालुराम के खाते, काश्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

की भूमि में अपीलांट व रेस्पोडेंट प्रत्येक 1/6,1/6 हिस्सा है। अपीलांट बालुराम की उत्तराधिकारी होने के कारण दावे मे आवश्यक पक्षकार होते हुए भी रेस्पोडेंट संख्या 1/रामलाल वादी ने अपीलांट को अन्य रेस्पोडेंट की साजिस से दावे में पक्षकार नही बनाया। विचारण न्यायालय में वादी का वाद वास्ते जवाब नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना सीधे ही विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पक्षकारान ने अपने हितो की उदघोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी विधिक रूप से डिक्री किया है। अपीलांट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपीलांट बालुराम की पौत्री है एवं बालुराम के मृतक पुत्र भंवरलाल की पुत्री है। इसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है। अत अपीलांट की अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। अपील न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार अपीलांट मृतक बालुराम के पुत्र मृतक भंवरलाल की पुत्री है। विरासतन बालुराम की भूमियों में 1/6 हिस्से की उतराधिकारिणी है। वादी द्वारा अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना विचाराधीन वाद डिक्री करवाया है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किया जाता है। चूकि अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार नही थी अत अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर

भू-प्रबन्ध ... पदेन राजस्व अपील ... सीकर

प्रदान कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर